संख्या–677 /नौ–9–16–193ज/13

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश
3. समस्त नगर आयुक्त
   नगर निगम, उ0प्र0
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2016

विषय–नगरीय स्थानीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–381/नौ–9–2016/193ज/13 दिनांक 04 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरीय निकायों की अवस्थापना विकास निधि तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो की शासनादेश संख्या–1359/नौ–9– 2012/199ज/2006 दिनांक 10 सितम्बर, 2012 की व्यवस्था को समाप्त करते हुये पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–268/नौ–9–2010/153ज/2001 दिनांक 07 मार्च, 2010 की व्यवस्था को पुनः प्रभावी करते हुये यह प्राविधान किया गया था कि केन्द्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो के आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि हेतु निकाय स्वंय सक्षम होगी। इस हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायगी।

2. शासन के संज्ञान में आई कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रभावी शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2016 की व्यवस्था को समाप्त कर पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.09.2012 की व्यवस्था को पुनः प्रभावी करते हुये केन्द्रीय वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति यथा स्थिति मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान

किया जायेगा। इसके उपरान्त निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि हेतु संबंधित निकाय सक्षम होंगे और इसके लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी स्तर से अनुमोदन/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा विकास कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
3. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

yad-go-2